प्रेस नोट थाना सदर बाजार
जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक : 23.01.2026

थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा नाबालिग बालिका के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त एवं सहअभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के नेतृत्व में चलाये जा रहे अपराध रोकथाम, मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर षडयंत्र के तहत नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने वाले अभियुक्त एवं सहअभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 22.01.2026 को वादी मुकदमा की तहरीर बावत वादी की नाबालिक चचेरी बहन को अभियुक्ता मुन्नी द्वारा अपने घर ले जाना तथा अभियुक्त आरिफ द्वारा घर में बन्द कर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 28/26 धारा 61(2)/65(1)/127(2) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। घटना की सूचना तत्काल अधिकारीगण को दी गयी। उच्चाधिकारीगण द्वारा तत्काल घटना का शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित कर टीम का गठन किया गया। दिनांक 23.01.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम को जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि आपके मुकदमे में वांछित अभियुक्त आरिफ पुत्र अजीम इस समय कहीं जाने की फिराक में छोटा कुतबां के पीछे खण्डहर के पास रास्ते पर खड़ा है जल्दी की जाए तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताये स्थान से एक व्यक्ति को पकड़ लिया। नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम आरिफ पुत्र अजीम उम्र करीब 27 वर्ष नि0 चौक आला खां थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर बताया जो थाना हाजा का वांछित अभियुक्त है। अतः पकडे गये अभियुक्त आरिफ उपरोक्त को उसके जुर्म व धारा से अवगत कराते हुये कारण बताकर समय 11.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता की तलाश मे थाना सदर बाजार पुलिस टीम चौकी क्षेत्र हददफ में मामूर थी कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि आपके थाने की वांछित अभियुक्ता मुन्नी उर्फ शकीला जिसकी आप लोगो को तलाश है इस समय अपने घर पर मौजूद है। जल्दी की जाए तो पकड़ी जा सकती है। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता उपरोक्त के घर मो0 बारादरी से अभियुक्ता को पकड लिया। महिला की शर्म हया का ख्याल रखते हुए उसका नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम मुन्नी उर्फ शकीला पत्नी स्व0 हसीब नि0 मो0 बारादरी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 60 वर्ष बताया। अभियुक्ता को कारण गिरफ्तारी व उसके जुर्म धारा से अवगत कराते हुए नियमानुसार समय करीब 12.55 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त व अभियुक्ता को बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण -

1.आरिफ पुत्र अजीम उम्र करीब 27 वर्ष नि0 चौक आला खां थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर।

2.मुन्नी उर्फ शकीला पत्नी स्व0 हसीब उम्र करीब 60 वर्ष नि0 मो0 बारादरी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0 28/26 धारा 61(2)/65(1)/127(2) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट

अभियुक्त आरिफ, की गिरफ्तारी का दिनाँक, समय व स्थान–

दिनांक 23.01.26 को समय करीब 11.35 बजे, छोटा कुतबां के पीछे खण्डहर के पास थाना सदर बाजार।

अभियुक्ता मुन्नी उर्फ शकीला, की गिरफ्तारी का दिनाँक, समय व स्थान –

दिनांक 23.01.26 को समय करीब 12.55 बजे अभियुक्ता के घर मो0 बारादरी थाना सदर बाजार।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण :-

1. निरीक्षक अपराध श्री विनोद कुमार यादव,
2. व0उ0नि0 श्री दिलशाद खां,
3. म0उ0नि0 साक्षी चौधरी,
4. का0 417 अंकित सिंह चौहान,
5. का0 888 मो0 तौफीक,
6. का0 2206 पवन कुमार मौर्य।